फर्द अहकाम

मूलवादी बनाम कानाराम

ACM आमेर द्वि. जयपुर

3/2024 (T.L.)

...ा या ...	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश.............. अनुसार आगामी पेशी दिनांक 6/3/25 को पेश हो। 6	
6/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 121 रकबा 1.16 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर	अन्तरिम आदेश की [illegible] प्राप्त कर लिया (हस्ताक्षर) (वादी की ओर से)

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 43/2024

सत्यवती शर्मा पत्नी श्री मदन शंकर शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नंबर 17 कल्याण कुंज, खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर।

................प्रार्थिनी

बनाम

1. कानाराम पुत्र ग्यारसा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र ग्यारसा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. रामप्रताप पुत्र ग्यारसा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.................अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 06.03.2025

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण उक्त वर्णित पते के निवासी है व भूमि खसरा नंबर 121 रकबा 1.16 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गोविंदपुरा, पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के सहखातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नंबर 121 रकबा 1.16 हैक्टेयर (116 ऐयर = 11600 वर्गमीटर भूमि) में प्रार्थिनी का 97/464 तथा 5/29 हिस्सा (24.25+20.00=44.25 वर्गमीटर भूमि) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस अनुसार प्रार्थिनी मनबंट के आधार पर उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 कानाराम का खसरा नंबर 121 में 123/464 हिस्सा (30.75 ऐयर = 3075 वर्गमीटर भूमि), अप्रार्थी संख्या 2 बाबूलाल का 41/464 हिस्सा (10.25 ऐयर = 1025 वर्गमीटर भूमि) तथा अप्रार्थी संख्या 3 रामप्रताप का 123/464 हिस्सा (30.75 ऐयर =3075 वर्गमीटर भूमि) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान् की सहखातेदारी की होने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित होने

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

से पक्षकारान् में काश्त को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं तथा अप्रार्थीगण प्रार्थिनी को बार–बार जगह बदलकर काश्त करने को विवश करने का प्रयास करते हैं जिससे प्रार्थिनी अपनी भूमि को न तो सुचारू रूप से काश्त करवा पाती है एवं नही पुख्ता तारबदी व भूमि सुधार पाती है। अप्रार्थीगण भूमि शामलाती होने से भूमि के मुख्य सडक पर लगते हिस्से की भूमि को स्वयं की बतलाकर भूमि पर दुकानें मकानात् बनाने व विक्रय करने का प्रयास करते हैं तथा प्रार्थिनी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर नाजायजतौर पर काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की उक्त नाजायज कोशिशों से परेशान होकर प्रार्थिनी ने अप्रार्थीगण से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन का आग्रह किया किंतु अप्रार्थीगण इसके लिये तत्पर व तैयार नहीं है एवं भूमि को विवादित बनाये रखना चाहते हैं। दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थिनी उक्त खसरा नंबर में अपने हिस्से की भूमि को काश्त के लिये तैयार करवा रही थी तो अप्रार्थीगण ने एकराय होकर प्रार्थिनी के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तथा प्रार्थिनी को परेशान किया। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद किया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया का खसरा नंबर 121 में का हिस्सा 97/464, 5/29, 123/464 है जो प्रार्थिया द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्रों से मिन उत्तरदाता व भूमि के अन्य सहखातेदारों से अलग–अलग स्थान पर क्रय कर, विक्रय पत्र में क्रयशुदा एवं क्रय के अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादिया द्वारा भूमि खसरा नंबर 121 व 123/150 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर में से तत्कालिन खातेदार ग्यारसा पुत्र दुला से खसरा नंबर 121 के 18/116 भाग को क्रय किया था जो उपपंजीयक तृतीय के यहां दिनांक 17.05.2010 को पृष्ठ 1 जिल्द संख्या 323 पर पंजीबद्व किया गया। उक्त विक्रय के पेज 4 में अंकित है कि विक्रय की जा रही भूमि संचित होने से दो फसली है तथा ग्राम की मुख्य आबादी जमीन से लगभग 1 किलोमीटर व रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अर्थात विक्रय की गई भूमि मुख्य सडक पर विक्रय नहीं कर पीछे की ओर विक्रय की गई है एवं प्रार्थिया द्वारा भूमि खसरा नंबर 121 में से तत्कालीन खातेदर पूरण पुत्र ग्यारसा व बाबूलाल पुत्र ग्यारसा से 73/464 भाग के हिस्सा 800/1525 भाग को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 01.11.2017 को क्रय किया था उक्त विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 5 में यह अंकित है कि विक्रयशुदा आराजी ग्राम की मुख्य आबादी जमीन से लगभग 300 मीटर दुरी पर स्थित है अर्थात मुख्य रोड से पीछे की

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

तरफ विक्रय की गई है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 01.11.2017 को उपपंजीयक कार्यालय तृतीय जयपुर के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1001 पृष्ठ संख्या 42 क्रम संख्या 202303017111893 पर पंजीबद्व किया गया है जो विक्रयशुदा भूमि सडक पर स्थित है। इस प्रकार वादिया अपने क्रयशुदा भूमि हिस्से पर विक्राय पत्र के अनुसार एवं पूर्व विक्रेताओं के विक्रयशुदा भाग पर काबिज है। तथा वादिया की मन में बदनियती आ जाने से एवं भूमि को विवादग्रस्त करने एवं मुख्य सडक की भूमि पर कब्जा करने के आशय से उक्त वाद पेश किया है जो काबिले खारिज है। वाद में वर्णित आराजी का मिन उत्तरदाता व कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की होने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित होने से पक्षकारान में काश्त को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रार्थिया को बार–बार जगह बदलकर काश्त करने को विवश करने प्रयास करते है जिससे प्रार्थिया अपनी भूमि को न तो सुचारू रूप से काश्त करवा पाती है न ही पुख्ता तारबंदी व भूमि सुधार कर पाती है उक्त कथन पूर्णतया मिथ्या व बनावटी होने से अस्वीकार नहीं है। तथा प्रार्थिया का यह कथन की अप्रार्थी संख्या 1 व 3 भूमि शामलाती होने से भूमि के मुख्य सडक पर लगते हिस्से की भूमि को स्वयं की बतलाकर भूमि पर दुकानें मकानात् बनाने व विक्रय करने का प्रयास करते है तथा प्राथिया के हिस्से व कब्जे की भूमि पर नाजायज तौर पर काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। मात्र प्रार्थना पत्र दायरी का आधार बनाने के लिए अंकित किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा न तो कभी प्रार्थिया को बार–बार जगह बदलकर काश्त करने को विवश किया और न ही कभी मुख्य सडक पर लगते हिस्से पर दुकाने मकानात बनाने व विक्रय करने का प्रयास किया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 पूर्व से अपने हिस्से पर ही काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा वर्तमान में कब्जे के अनुसार विभाजन करवाने के तैयार व तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने विधिक विभाजन करवाने के लिए प्रार्थिया को कभी भी मना नहीं किया, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 कब्जेनुसार विभाजन करवाने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थिया द्वारा कभी भी तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन करवाने का आग्रह अप्रार्थी संख्या 1 व 3 नहीं किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 तो स्वयं अपने कब्जेनुसार विभाजन करवाने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर रहते हैं ना ही अप्रार्थी संख्या 1 व 3 कभी भी उक्त विवादित भूमि को विवादित बनाये रखना चाहते हैं। तथा मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के हिस्से खातेदारी की भूमि का कब्जे अनुसार विधिक विभाजन किये जाने पर मिन उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थिनी उक्त खसरा नंबर में अपने हिस्से की भूमि को काश्त के लिये तैयार करवा रही थी तो

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थीगण ने एकराय होकर प्रार्थिनी के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तथा प्रार्थिनी को परेशान किया। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद किया जावें।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद वावत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, विधिनुसार तकासमे के वाद में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त संपत्तियों की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। चूकि विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है यदि विशिष्ठ भूभाग का वेचान, कब्जा आदि होते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है, जहां तीनो विंदुओ में से एक भी विंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्को व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 121 रकवा 1.16 हैक्टेयर वाके ग्रम गोविन्दपुरा पटवार हल्का रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर